भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 821
जिसका उत्तर शुक्रवार, 26 जुलाई, 2024 को दिया जाना है

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

821. श्री जी. सेल्वम :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज के गरीब और कमजोर वर्गों, अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित प्राधिकरणों/संस्थाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने निःशुल्क विधिक सहायता की सुविधा के बारे में समाज के गरीब और कमजोर वर्गों में जागरूकता पैदा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु सहित राज्य-वार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा कितने मामले ग्रहीत किए गए/निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की गई ;

(घ) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान नालसा को आबंटित, जारी की गई और उसके द्वारा उपयोग की गई निधि का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या सरकार के पास नालसा सहित इन प्राधिकरणों/संस्थानों के कार्यकरण/कार्य-निष्पादन की निगरानी के लिए कोई तंत्र है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरण/संस्थाएं स्थापित की गई हैं:-

i. राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए)

ii. उच्चतम न्यायालय स्तर पर उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति (एससीएलएससी)

iii. उच्च न्यायालय स्तर पर **38** उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियां (एचसीएलएससी)

iv. राज्य स्तर पर **37** राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए)

v. जिला स्तर पर **703** जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए)

vi. तालुक स्तर पर **2390** तालुक विधिक सेवा समितियां (टीएलएससी)

(ख) : लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा पूरे देश में बालकों, मजदूरों, आपदा पीड़ितों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग व्यक्तियों आदि से संबंधित विभिन्न विधियों और स्कीमों पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, विधिक सेवा प्राधिकरणों ने विभिन्न विधियों पर आसान भाषा में पुस्तिकाएं और पैम्फलेट भी

तैयार किए हैं, जिन्हें लोगों में वितरित किया जाता है। वर्ष 2023-24 के दौरान 4.30 लाख से अधिक विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिनमें 4.49 करोड़ लोगों ने भाग लिया था ।

(ग) : पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2021-22, 2022-23, 2023-24 और चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 (मई, 2024 तक) के दौरान विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई निःशुल्क विधिक सेवाओं के माध्यम से फायदाप्राप्त व्यक्तियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **उपाबंध-क** पर है ।

(घ) : सरकार द्वारा वार्षिक आधार पर नालसा को अनुदान सहायता के अधीन निधियां आबंटित और जारी की जाती है । पिछले 3 वर्षों यानी 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान सरकार द्वारा नालसा को क्रमशः 145 करोड़ रुपये, 190 करोड़ रुपये और 400 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता आबंटित/जारी की गई। चालू वर्ष अर्थात् 2024-25 के लिए नालसा को 200 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता आबंटित की गई है, जिसमें से सरकार द्वारा अब तक 83 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विधिक सहायता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए नालसा द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरणों को आबंटित निधियों का विवरण **उपाबंध-ख** पर है।

(ङ) : विधिक सेवा प्राधिकरणों के प्रदर्शन की मानीटरी करने के लिए, नालसा सभी साल्सा से मासिक क्रियाकलाप रिपोर्ट प्राप्त करता है, जिसमें किसी विशेष महीने में किए गए सभी क्रियाकलापों पर प्रकाश डाला जाता है। इसके पश्चात्, नालसा द्वारा मासिक आधार पर एक अंतिम क्रियाकलाप रिपोर्ट सरकार को भेजी जाती है, जिसकी समीक्षा की जाती है और उसे संकलित किया जाता है। मासिक क्रियाकलाप रिपोर्टों के अतिरिक्त, नालसा सभी साल्सा से वार्षिक रिपोर्ट भी प्राप्त करता है और अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है, जिसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन विधिक सहायता के कामकाज का आकलन करने के लिए कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय पर विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति द्वारा विभिन्न मुद्दों पर समय-समय पर समीक्षा भी की जाती है। इसके अतिरिक्त, विधिक सेवा प्राधिकरणों के प्रदर्शन की मानीटरी के लिए नालसा द्वारा अक्सर अखिल भारतीय बैठकें और क्षेत्रीय बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों पर नालसा और न्याय विभाग के प्रतिनिधियों के बीच नियमित बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

****

उपाबंध-क

श्री सेलवन जी., संसद् सदस्य द्वारा उठाए गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 821- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसका उत्तर तारीख 26-07-2024 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई मुफ्त विधिक सेवाओं के माध्यम से पिछले वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान फायदाप्राप्त व्यक्तियों की संख्या के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण ।

क्र.सं.	साल्सा	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (मई 2024 तक)
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	79	134	220	17
2	आन्ध्र प्रदेश	6371	9473	8265	1214
3	अरुणाचल प्रदेश	2657	5559	5696	1068
4	असम	110254	38335	63749	11763
5	बिहार	1689158	209809	151413	14474
6	चंडीगढ़	1781	2653	2822	616
7	छत्तीसगढ़	42394	44106	62164	11537
8	दादरा और नागर हवेली	27	28	55	7
9	दमण और दीव	17	24	34	12
10	दिल्ली	79055	96433	121882	14031
11	गोआ	1101	2041	1558	292
12	गुजरात	21953	32422	40569	7144
13	हरियाणा	23260	43098	76863	11109
14	हिमाचल प्रदेश	4806	5998	7346	1105
15	जम्मू-कश्मीर	8870	7992	11396	2141
16	झारखंड	649481	145217	269303	31855
17	कर्नाटक	32794	45663	53406	8546
18	केरल	16895	23418	36498	2915
19	लद्दाख	2408	711	505	65
20	लक्षद्वीप	0	0	0	1
21	मध्य प्रदेश	3343800	191921	225510	42159
22	महाराष्ट्र	22595	36663	53756	8244
23	मणिपुर	22651	26929	62635	5932
24	मेघालय	2346	2769	2371	300
25	मिजोरम	3201	5038	4801	780
26	नागालैंड	7750	7390	4603	708
27	ओडिशा	8849	11880	19289	3107
28	पुड्डुचेरी	884	788	621	145
29	पंजाब	36404	56448	60361	11356
30	राजस्थान	13833	13472	20290	3376
31	सिक्किम	986	1127	1074	136
32	तमिलनाडु	38181	49570	45180	7196
33	तेलंगाना	6712	12615	13193	1006
34	त्रिपुरा	2671	5055	9964	1758
35	उत्तर प्रदेश	132629	24890	29079	2010
36	उत्तराखंड	3775	5386	21339	4300
37	पश्चिमी बंगाल	29015	49714	62354	12600
	कुल	6369643	1214769	1550164	225025

उपाबंध-ख

श्री सेलवन जी., संसद् सदस्य द्वारा उठाए गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 821- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसका उत्तर तारीख 26-07-2024 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान विधिक सहायता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों को आबंटित निधियों (रुपयों में) की रकम दर्शाने वाला विवरण ।

क्र.सं.	विधिक सेवा प्राधिकरणों का नाम	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (18.07.2024 तक)
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	-	15,00,000	8,43,500	24,00,000
2	आन्ध्र प्रदेश	5,00,00,000	4,65,00,000	9,16,00,000	86,00,000
3	अरुणाचल प्रदेश	1,40,00,000	5,00,00,000	9,75,00,000	1,25,00,000
4	असम	6,40,00,000	7,40,00,000	20,00,00,000	2,40,00,000
5	बिहार	7,60,00,000	9,25,00,000	12,50,00,000	3,06,00,000
6	चंडीगढ़	55,00,000	60,00,000	1,42,26,000	-
7	छत्तीसगढ़	5,25,00,000	6,65,00,000	17,00,00,000	2,20,00,000
8	दादरा और नागर हवेली	-	10,00,000	2,50,000	-
9	दमण और दीव	-	-	17,50,000	3,50,000
10	दिल्ली	9,30,00,000	12,25,00,000	15,00,00,000	6,00,00,000
11	गोआ	15,00,000	45,00,000	1,42,00,000	43,00,000
12	गुजरात	5,75,00,000	8,80,00,000	18,50,00,000	3,10,00,000
13	हरियाणा	6,50,00,000	7,60,00,000	13,25,00,000	1,43,00,000
14	हिमाचल प्रदेश	2,45,00,000	3,90,00,000	8,50,00,000	4,50,00,000
15	जम्मू-कश्मीर	4,65,00,000	6,60,00,000	9,50,00,000	2,35,00,000
16	झारखंड	7,35,00,000	7,00,00,000	16,50,00,000	2,65,00,000
17	कर्नाटक	7,50,00,000	9,20,00,000	17,50,00,000	2,90,00,000
18	केरल	9,90,00,000	8,00,00,000	19,75,00,000	2,00,00,000
19	लद्दाख	65,00,000	45,00,000	1,18,65,000	50,00,000
20	लक्षद्वीप	-	5,00,000	2,75,000	-
21	मध्य प्रदेश	5,00,00,000	7,40,00,000	26,50,00,000	4,00,00,000
22	महाराष्ट्र	8,25,00,000	9,60,00,000	26,50,00,000	5,40,00,000
23	मणिपुर	1,05,00,000	1,90,00,000	6,23,30,730	1,12,00,000
24	मेघालय	50,00,000	2,60,00,000	2,46,35,500	16,00,000
25	मिजोरम	1,15,00,000	2,15,00,000	4,28,00,000	1,38,00,000
26	नागालैंड	1,15,00,000	2,75,00,000	2,20,00,000	42,00,000
27	ओडिशा	4,25,00,000	7,60,00,000	9,32,00,000	2,60,00,000
28	पुड्डुचेरी	20,00,000	92,00,000	70,10,000	23,00,000
29	पंजाब	6,40,00,000	6,16,00,000	18,25,00,000	2,75,00,000
30	राजस्थान	7,00,00,000	8,40,00,000	15,25,00,000	1,80,00,000
31	सिक्किम	65,00,000	1,65,00,000	1,55,00,000	34,00,000
32	तमिलनाडु	6,00,00,000	8,10,00,000	18,00,00,000	4,15,00,000
33	तेलंगाना	4,10,00,000	5,05,00,000	14,00,00,000	2,20,00,000
34	त्रिपुरा	2,65,00,000	3,40,00,000	6,50,00,000	55,00,000
35	उत्तर प्रदेश	6,00,00,000	11,80,00,000	29,50,00,000	5,50,00,000
36	उत्तराखंड	2,55,00,000	3,55,00,000	4,25,00,000	1,26,00,000
37	पश्चिमी बंगाल	7,00,00,000	8,80,00,000	16,25,00,000	3,35,00,000
38	उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति	1,00,00,000	90,00,000	1,00,00,000	1,00,00,000
39	माध्यस्थम् और सुलह परियोजना समिति (एमसीपीसी)	-	1,25,00,000	50,00,000	50,00,000
	कुल	,45,30,00,000	,92,08,00,000	3,94,49,85,730	74,61,50,000

****